प्रेस विज्ञप्ति
13.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स बीएनआर इंफ्रा एंड लीजिंग, मेसर्स एलीट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 35.05 करोड़ रुपये मूल्य की 2 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियां बीरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी और अनिल बेनीप्रसाद अग्रवाल की हैं और इनमें भूमि पार्सल और आवासीय फ्लैट शामिल हैं।

ईडी ने सीबीआई, ईओडब्ल्यू, चेन्नई और सीबीआई, एसीबी, हैदराबाद द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू की। ये एफआईआर मेसर्स बीएनआर इंफ्रा एंड लीजिंग और मेसर्स एलीट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धोखाधड़ी से ऋण सुविधाओं के लाभ उठाने से संबंधित हैं। धोखाधड़ी के कारण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को क्रमशः स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जाली दस्तावेज प्रस्तुत करके, गिरवी रखी गई संपत्तियों के स्वामित्व और स्थिति के बारे में गलत जानकारी देकर और विवादित भूमि स्वामित्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर ऋण प्राप्त हुआ। इस धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप एसबीआई को लगभग 8.20 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 26.86 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान हुआ।

ईडी की जांच में पता चला कि उपर्युक्त संस्थाओं के प्रवर्तकों और निदेशकों ने अपने सहयोगियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर, कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि के रूप में गलत तरीके से प्रदर्शित करके या पहले से विवादित और अस्पष्ट स्वामित्व वाली संपत्तियों को गिरवी रखकर बैंक ऋण प्राप्त किए। ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों को जाली दस्तावेज, जिनमें फर्जी भूमि रूपांतरण प्रमाण पत्र और स्वामित्व एवं भार संबंधी मनगढ़ंत घोषणाएं शामिल थीं, प्रस्तुत किए गए। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि साजिश को आगे बढ़ाने के लिए, एसबीआई से 1 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्राप्त करने के उद्देश्य से, आरोपियों और मेसर्स कम्फर्ट सिक्योरिटीज लिमिटेड (जिसका प्रतिनिधित्व निदेशक अनिल बेनीप्रसाद अग्रवाल कर रहे थे) के बीच निर्माण गतिविधि से संबंधित एक मनगढ़ंत समझौता किया गया। उक्त बैंक गारंटी को बाद में बेईमानी से भुनाया गया, जबकि वास्तव में कोई निर्माण गतिविधि या संविदात्मक दायित्व मौजूद नहीं था। इस धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग के माध्यम से, आरोपियों ने बैंक को अनुचित हानि पहुंचाई और इसके अनुरूप स्वयं लाभ प्राप्त किया।

जांच से पता चला है कि धोखाधड़ी से प्राप्त ऋण की बड़ी रकम आरोपियों द्वारा नियंत्रित विभिन्न समूह कंपनियों और संस्थाओं के माध्यम से भेजी गई थी और अंततः इसका उपयोग असंबंधित देनदारियों के भुगतान, अन्य फर्मों में हस्तांतरण और संपत्ति अधिग्रहण के लिए किया गया था।

आगे की जांच जारी है।